न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 112/2017

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
पुनमसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति रावत निवासी थोथी फुल सागर, तहसील जैतारण जिला पाली		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 29.10.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 230/2016 में तहसीलदार जैतारण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2016 एवं अपील संख्या 64/2017 में न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार जैतारण द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम रास I के खसरा नम्बर 910 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै0मु0 (नाकाबिल काश्त) की भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये जुर्माना आरोपित किया एवं आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट्स को तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण माना, किन्तु पश्चातवर्ती अतिक्रमण को साबित करने हेतु पुरानी पत्रावली, खसरा गिरदावरी, खसरा परिवर्तनशील आदि की प्रतियां बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नही की तथा न ही ऐसी कोई मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे अपीलाण्ट का कब्जा साबित होता हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान दर्ज करने बाबत कोई आदेश ही जारी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

नहीं किया, मात्र कागजी कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जिस भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा दर्शाया गया है, वहां अपीलाण्ट का पुराना बाडा बना हुआ है तथा किस्म भी प्रतिबन्धित श्रेणी की नहीं है। इस कारण प्रकरण नियमन योग्य था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो पूर्णतः विधि विरूद्ध है। तहसीलदार जैतारण द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट्स द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं करते हुए, जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रास I के खसरा नम्बर 910 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै0मु0 (नाकाबिल काश्त) की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम रास I के खसरा नम्बर 910 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै0मु0 (नाकाबिल काश्त) की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का रास I द्वारा तहसीलदार जैतारण के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्त भूमि पर पत्थर, ईंटें आदि डालकर कब्जा किया है, इस पर तहसीलदार जैतारण द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 04.10.2016 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट पूनमसिंह से तामील करवाया गया, जो सम्यक तामील की परिभाषा में आने से तामील मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया। इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का रास I के बयान कलमबद्ध किये गये, जिसमें गवाह ने उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के कथन किये। उक्त साक्ष्य का अपीलाण्ट द्वारा किसी भी रूप में पुनःपरीक्षण नही किया है। इस हेतु स्वयं अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने का न तो समय चाहा गया। अपीलाण्ट द्वारा अपील के चरण संख्या 4 में जैर अपील विवादित आराजी पर स्वयं का बाडा होना स्वीकार किया है, जो जैर अपील विवादित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आराजी पर उनके अतिक्रमण की स्वीकारोक्ति को प्रदर्शित करता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 230/2016 में तहसीलदार जैतारण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2016 एवं अपील संख्या 64/2017 में न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.04.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली